अध्यक्ष महोदय : अब यह जो नोटिसेज़ आये हैं अगर उन के बारे में माननीय सदस्य इस तरीके से शुरू करेंगे तो मैं उन का जवाब नहीं दे सकूंगा ।

श्री बागड़ी : आप मेरी बात तो सुन लीजिये । बनर्जी की आप ने सुन ली तो मेरी भी तो सुन लीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : आप के नाम यह जो वहां से तार आया है और उस में जो लिखा है वह सब मुझे लिख कर भेज दें ।

श्री बागड़ी : राज्य सभा में यह सवाल उठा है . . . .

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर । एक मिनट के लिए आप बैठ जायें ।

आप के पास यह जो तार आया है उस की नकल या जो उस के बारे में आप कहना चाहते हैं वह सारा आप लिख कर दे दें और मैं उस पर अभी फैसला ले लूंगा । अगर उसे देख कर मैं यह समझूंगा कि उस पर आप को इजाजत देनी चाहिए तो मैं जरूर उस को ले लूंगा । लेकिन अभी इस को आप इस तरीके से मत उठाइये ।

श्री बागड़ी : मैं इस की चर्चा नहीं करूंगा लेकिन सिर्फ यह बात कहनी चाहूंगा कि इस तरह के नोटिसेज राज्य सभा में मंजूर हो जाते हैं और ऐसा एक दफा नहीं बल्कि सैंकड़ों दफा हुआ है, राज्य सभा में वक्तव्य हो जाता है भुखमरी का, वहां पहले हो जाय और यहां फिर भी इस तरह से दिक्कत हो . . . .

अध्यक्ष महोदय : राज्य सभा की पहल हो या पीछे उस पर मेरा काबू नहीं है वह एक अलग सौवरन हाउस है । उन की अपनी मर्जी है कि वह जो चाहें अपना फैसला लें । यह भी हो सकता है कि जो चीज़ वहां मंजूर कर ली जाय वह यहां नामंजूर हो जाय । उन का फैसला अपना अलग होता है और हमारा अलग होता है ।

12.02 hrs.

INTRODUCTION OF DEPUTY MINISTER

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहता हूं कि ट्रेजरी बैंचेज़ पर एक नई महिला सदस्या मौजूद हैं । हमारे सदन की तो वह मैम्बर हैं नहीं और सदन के नेता ने भी उन का कुछ परिचय नहीं बताया । आखिर वह वहां पर बैठने वाली सदस्य महोदया कौन हैं कुछ तो उन के बारे में सदन को बताया जाय ।

The Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Satya Narayan Sinha): I think she has been introduced already.

Some hon. Members: No.

अध्यक्ष महोदय : मुझे आज इस को देख कर बड़ी हैरानी हुई शास्त्री जी यहां बैठ कर हर एक चीज पर बड़ा ध्यान रख रहे हैं । मैंने तो कुछ और ही समझा था मगर पाया कुछ और ही ।

Shri Satya Narayan Sinha: I have great pleasure in introducing through you, Sir, to the House, Shrimati Jahanara Jaipal Singh who has been appointed Deputy Minister in the Ministry of Transport and Aviation.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय मैं . . . .

अध्यक्ष महोदय : नोटिसेज की बात मैं नहीं लूंगा ।

श्री मधु लिमये : मैं आप की मार्फत प्रधान मंत्री जी से एक वाक्य में निवेदन करना चाहता हूं कि आज सवेरे भारत के विदेश

[श्री मधु लिमये]

मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह के साथ 15 भारतीय पत्रकार रावलपिंडी जाने वाले थे उन को पाकिस्तान सरकार ने इजाजत नहीं दी है तो क्या प्रधान मंत्री जी इस विषय के सम्बन्ध में सभा के सामने कुछ निवेदन करेंगी ?

अध्यक्ष महोदय : वह देख लेंगे और अगर जवाब देना होगा तो जवाब भी दे देंगे ।

श्री बागड़ी (हिसार) : प्रधान मंत्री जी तो कुछ बोलना चाहती थीं ।

अध्यक्ष महोदय : पेपर्स टु बी लेड ओन दी टेबुल ।

12.03 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNUAL ACCOUNTS OF VISAKHAPATNAM PORT TRUST NOTIFICATION UNDER PROCLAMATION RELATING TO KERALA

The Minister of State in the Ministry of Transport and Aviation (Shri C. M. Poonacha): On behalf of Shri Sanjiva Reddy, I beg—

(1) to re-lay on the Table a copy of the Annual Accounts of the Visakhapatnam Port Trust for the period from 29th February, 1964 to 31st March, 1964, and the Audit Report thereon under sub-section (2) of section 103 of the Major Port Trusts Act, 1963. [*Placed in Library. See* No. LT-5258/65].

(2) to lay on the Table a copy of Notification No. SRO 446/65 published in Kerala Gazette dated the 21st December, 1965 making certain amendment to the Kerala Motor Vehicles Rules, 1961, under sub-section (3) of section 133 of the Motor Vehicles Act, 1939 read with clause (c)(iv) of the Proclamation dated the 24th March, 1965, issued by the Vice-President, discharging the functions of the President, in relation to the State of Kerala. [*Placed in Library. See* No. LT-5622/66].

NOTIFICATIONS UNDER ESSENTIAL COMMODITIES ACT

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Govinda Menon): I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications under sub-section (6) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1956:—

(i) GSR 1181 published in Gazette of India dated the 16th August, 1965;

(ii) The Inter-Zonal Wheat and Wheat Products (Movement Control) Amendment Order, 1966, published in Notification No. GSR 262 in Gazette of India dated the 15th February, 1966;

(iii) The Madhya Pradesh Coarse Grains (Export Control) Amendment Order, 1966, published in Notification No. GSR 263 in Gazette of India dated the 15th February, 1966. [*Placed in Library. See* No. LT-5623/66].

NOTIFICATION UNDER MERCHANT SHIPPING ACT

Shri C. M. Poonacha: I beg to lay on the Table a copy of the Merchant Shipping (Registration of Indian Ships) Amendment Rules, 1966, published in Notification No. GSR 227 in Gazette of India dated the 12th February, 1966, under sub-section (3) of section 458 of the Merchant Shipping Act, 1958. [*Placed in Library. See* No. LT-5624/66].

ORDER UNDER DELIMITATION COMMISSION ACT

The Minister of State in the Ministry of Law (Shri C. R. Pattabhi Raman): I beg to lay on the Table a copy of Order No. 16 of the Delimitation Commission determining delimitation of Parliamentary and Assembly